

F-5-31/2018/10.2

9/1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-737/762

रायपुर, दिनांक 18/03/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर

पत्र क्रमांक 1093
/201/10-2/वन
दिनांक 28.3.2019

विषय: - Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4 - lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh-reg.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/28920/2017
संदर्भ:- यूजर एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र दिनांक 11.03.2019

= 0 =

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का अनुरोध है (छाया प्रति संलग्न)।

पत्र के साथ क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पत्र दिनांक 14.02.2019 यूजर एजेंसी द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रथम चरण की स्वीकृति का पत्र छ.ग. शासन, वन विभाग को संबोधित है। इस पत्र को शीघ्र कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर तथा वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर को शर्तों के पालन हेतु इस कार्यालय से प्रेषित किया जाना है। अतः इस पत्र को छ.ग. शासन वन विभाग से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को आगामी कार्यवाही हेतु ई.डी.एस सहित शीघ्र प्रेषित किये जाने का अनुरोध है।

वेब पर प्रथम चरण की स्वीकृति क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदर्शित नहीं की गई है। अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध) के पत्र दिनांक 22.12.2018 को राज्य शासन को पृष्ठांकित करते हुए राज्य शासन को जो ई.डी.एस दिनांक 24.12.2018 को किया गया था वह राज्य शासन द्वारा दिनांक 22.01.2019 को वापस इस कार्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 26.09.2018 को अपलोड करते हुए ई.डी.एस किया गया था।

चूंकि प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है अतः अब क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के प्रथम चरण स्वीकृति की दिनांक 14.02.2019 के पूर्व के पत्रों पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में वेब पर ई.डी.एस प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के स्तर पर लंबित है जिसे राज्य शासन को दिनांक 17/03/19 को ई.डी.एस कर दिया गया है। टाईम लाईन की 01 पृष्ठीय छाया प्रति भी संलग्न है। क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को ई.डी.एस किये जाने जाने का अनुरोध है ताकि क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के द्वारा प्रथम चरण की स्वीकृति वेब पर प्रदर्शित की जा सके।

संलग्न:- संदर्भित पत्र एवं टाईम लाईन की छाया प्रति 13 पृष्ठीय

(अतुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.सं (भू-प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

5094

UB(R)


कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

ई-मेल: apecf-lm.cg@gov.in

दूरभाष: 0771 - 2512840

क्र०/भू-प्रबंध/विधि/115-737/4218



प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन - VCA के सामने
सिविल लाइन, नागपुर - 440001

विषय:

- Diversion of 24.585 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4 - lane with Paved Shoulder Configuration of Bilaspur - Katghora Section of NH-111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh-reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/28920/ 2017

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/ FC-II/CH-89/ 2018-NGP/4425 दिनांक 18.10.2018
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक/ 2072 दिनांक 13.12.2018

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा प्रकरण में 7 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

Sl no	Observation	Reply
(i)	The area under existing road has also been included in proposed diversion area and the calculation of the area proposed for diversion is not professionally done. State Government should submit their comments on whether the area under existing road is also sought to be diverted even if road was laid prior to 1980, before Commencement of Forest (Conservation) Act, 1980	Area under existing road also needs to be diverted because they are recorded as Big/small revenue forest trees in Revenue records. These survey numbers are crossing through the existing road & are notified as Big/small revenue forest trees in Gazette notification for land acquisition under NH Act. It is to inform that Competent Authority for land acquisition is SDM Bilaspur as per Gazette Notification Hence, 3A/3D Notification published by CALA, Bilaspur for these survey numbers as Big/small revenue forest trees is nature of land at present. However, These roads are laid after 1980 but since they are still reflected as Big/small revenue forest trees in revenue records, Hence needs diversion.
(ii)	Examination of proposed alignment in Google Satellite imaginary revealed new alignments are proposed over forest land, whereas user agency has maintained that there are no new alignments. Accordingly, State Government should submit the details of new alignments proposed in forest area.	New minor alignments in revenue forest area are due to re-designing of curves, structures at par with Geometric design standards of National Highways. Details of all such location is attached as Annexure A . Total area under re-alignment part is 4.586 Hectare.
(iii)	Area under each patch should calculate conspicuously and same need to be submitted.	Detailed Area statement is attached as Annexure B for forest patches in existing alignment & re-alignment part separately.

		It is to inform that Since dimensions of patches are not linear hence there is no other way but to average out the width & length of patches by back calculating from Area arrived from GPS coordinates. Hence Area of patches calculated from GPS coordinates is extremely accurate but just for presentation purpose in length & width form by road chainage wise, their average length & width is taken.	3 4 7/1
(iv)	Details of all structures like bridges, minor bridges, culverts (box culverts or/and underpasses) proposed specifically in forest land may be submitted by State Government.	Details of all structures like bridges, minor bridges, culverts (box culverts or/and underpasses) proposed in forest land is attached <u>Annexure C</u> .	✓
(v)	Examination of revised submitted compliance of schedule Tribe and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 revealed that Gram Sabha Resolutions/ Forest Right Committee(s) proceeding for entire 24.585 ha needs to be submitted for 16 villages and 21.6289 ha area. Gram Sabha Resolution/Forest Rights Committee (s) proceedings for entire 24.585 ha to be submitted.	Gram Sabha Resolutions/ Forest Right Committee(s) proceeding under recognition of Forest Rights Act, 2006 for all 14 villages for entire 24.585 indexwise is attached as <u>Annexure D</u> .	
(vi)	No changes have been made in CB analysis and same CB analysis has been submitted. Revised CB analysis, dully estimating benefits of all parameters by converting them in monetary terms as mentioned in Table-C of MoEF&CC's guidelines dated 01.08.2017, may be submitted by State Government.	Revised CB Analysis as per MoEF&CC's guidelines dated 01.08.2017 is attached as <u>Annexure E</u> .	
(vii)	Physical copy of DGPS map has not been submitted.	Physical copy of DGPS map is attached as <u>Annexure F</u> .	

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त से प्राप्त प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-737/4213

रायपुर, दिनांक 22/12/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अभिलाषा परिसर, नया बरा स्टेशन, जिला बिलासपुर।

वर्तमान में किसी भी प्रकार के वन क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़